न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख प्राथमिक निर्णय
30/16	दावा	01.06.16	03.08.17

उर्मिला पत्नि मुकेश जाति मीना निवासी बूकना तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादीया

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र करमोला
2. रूपलाल ।
3. मदनलाल। पि0 बत्तीलाल
4. लालाराम।
5. शिवराज ।

जातियान मीना निवासीयान बूकना तह0 सपोटरा जिला करौली।

6. महेन्द्र पुत्र गजबी नाबालिग जरिये माता संरक्षिका सरूपी
7. सरूपी पत्नि गजबी

सभी जातियान मीना निवासीयान बूकना तह0 सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

8. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा सपोटरा।
9. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा अमरगढ
10. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी वकील वादीया।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि वादीया ने एक वाद इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 1181रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा जिसमे वादीया का हिस्सा 1/4 है तथा आराजी खसरा नं0 1183 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा जिसमे वादीया का हिस्सा 1/2 है जो कि ग्राम बूकना तहसील सपोटरा मे स्थित है। उक्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है। वादीया ने जनकी मीना से उसके हिस्से की जमीन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदकर खरीद दिनांक से ही कब्जा व स्वामित्व प्राप्त कर लीना है। वादीया के हिस्से की जमीन से अन्य किसी व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। उक्त दर्ज भूमि को विक्रेता जनकी द्वारा अपने कब्जे अनुसार कब्जा वादीया को संभलवाया है। वादीया को मौके पर पूर्व से ही जनकी के हिस्से मे आयी बांहमी बंटवारे के अनुसार आयी भूमि पर सड़क व नहर के बीच कुंआ वाला खेत पर कब्जा कराया है। दिनांक 20.05.2016 को वादीया अपने दर्ज हिस्से की भूमि की साफ सफाई करने गयी तो प्रतिवादी सं0 1 ता 7 मौके पर आ गये एवं एलानिया धमकी देकर कहा कि तुझे हम उक्त दर्ज भूमि पर फसल काश्त करने नही देंगे तथा लाठी की ताकत पर तुझे उक्त भूमि से बेदखल करके रहेगें। वादीया ने प्रतिवादीगण को काफी समझाया लेकिन प्रतिवादीगण नाराज हो गये। इसलिए वादीया ने उक्त आराजीयात का बंटवारा बाहमी बंटवारा अनुसार कर खाते एवं लगान सेपरेट कराने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीया दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1 ता 9 बावजूद तामील सम्मन उपस्थित न्यायालय नही आये लिहाजा इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिय गये। प्रतिवादी सं0 10 ने प्रकरण मे राज्य हित निहित नही होने के कारण कोई जवाब दावा पेश नही किया इसलिए तनकीयात कायम नही की जा सकी। साक्ष्य में वादीया उर्मिला का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया ने जमाबंदी नकल ग्राम बूकना सम्बत् 2070-73 पेश की है।

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक वादीया की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पेश जमाबंदी नकल ग्राम बूकना तहसील सपोटरा सम्बत् 2070-73 से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है जिसमे वादीया को अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड मे पृथक से बंटवारा कराकर खाता व लगान पृथक से कराने के हकूक प्राप्त है।

अतः दावा वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम बूकना तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 1181 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा मे वादीया को हिस्से 1/4, प्रति0 सं0 1 को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 6 को हिस्सा 1/4 तथा खसरा नं0 1183 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा मे वादीया को हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं0 2 को हिस्सा 1/2 का पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार सपोटरा को 300/- फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तहरीर जारी हो कि कमीश्नर फीस वादीया से प्राप्त कर उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा किया जाकर बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 3 प्रति सहित दिनांक 20.09.2017 को या इससे पूर्व भिजवावे। पत्रावली दिनांक 20.09.2017 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner